

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन

नरेश कुमार*

सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वह शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है तथा इस नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक दायित्वों से युक्त एक ऐसी शिक्षा नीति है जो देश के साथ जुड़ाव एवं बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करने पर बल देती है। यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि भाषा निःसंदेह अटूट रूप से कला एवं संस्कृति से जुड़ी होती है। भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न केवल राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों एवं बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में बच्चों के अंदर सांस्कृतिक जागरूकता एवं अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को विकसित करना बहुत ही ज़रूरी है। यह शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है कि सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परंपरा की भावना और ज्ञान के विकास के माध्यम से ही बच्चों के अंदर सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान की भावना का विकास किया जा सकता है।

शिक्षा मानवीय क्षमताओं को प्राप्त करने, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना एवं विकास तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा तथा संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन (व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व अर्थात् मानवता की भलाई के लिए) किया जा सकता है। इसी संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा

नीति 2020 भारत की इक्कीसवीं शताब्दी की वह पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नयी शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। इसका उद्देश्य इक्कीसवीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा

* असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दक्षिण-पश्चिम, घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली

को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए इक्कीसवीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें सतत विकास लक्ष्य 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।

इस शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम के 10+2 ढाँचे की जगह 5+3+3+4 की नयी पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है। इस नीति में अब तक दूर रखे गए 3-6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। नयी शिक्षा प्रणाली में

भारत संस्कृति का समृद्ध भंडार है जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परंपराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव लेना, भारत के खूबसूरत हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्यौहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण संगीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फ़िल्मों को देखना आदि कुछ ऐसे आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इनका आनंद उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा है जो भारत के पर्यटन स्लोगन के अनुसार भारत को वास्तव में “अतुल्य भारत” बनाती है। भारत की इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि यह देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 86

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या-ज्ञान जैसी ‘बुनियादी क्षमताओं’ का विकास होता है बल्कि ‘उच्चतर स्तर’ की तार्किक और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी विकास होता है। नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

तीन साल की आँगनवाड़ी या प्री-स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। प्री-स्कूलिंग एवं स्कूली शिक्षा को मिलाकर यह अवधि कुल 15 वर्ष की होगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित

करने पर भी बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह प्रतिस्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय मूल्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अंतर्दृष्टि (विज़न) भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति की अंतर्दृष्टि छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 8

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन

भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विवेचना इस प्रकार है—

1. बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी क्षमताओं का विकास करना— इस नीति के अनुसार भारतीय कला

एवं संस्कृति का संवर्धन न केवल राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों में अपनी पहचान, अपनेपन के भाव एवं अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव उत्पन्न करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता एवं अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों के अंदर विकसित करना बहुत ज़रूरी है। सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परंपरा की भावना और ज्ञान के विकास के माध्यम से ही बच्चों के अंदर एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान बच्चों में निर्मित एवं विकसित किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के संदर्भ में सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी क्षमताओं का योगदान अति महत्वपूर्ण है।

2. **संस्कृति का प्रचार करने का प्रमुख माध्यम कला**— राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृति का प्रचार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है। कला सांस्कृतिक पहचान एवं जागरूकता को समृद्ध करने, समुदायों को उन्नत करने और व्यक्तियों में संज्ञानात्मक एवं सृजनात्मक क्षमताओं तथा व्यक्तिगत प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। इस संदर्भ में यह नीति इस बात का उल्लेख करती है कि व्यक्तियों की प्रसन्नता, कल्याण, सांस्कृतिक पहचान एवं संज्ञानात्मक विकास वे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके लिए सभी प्रकार की भारतीय कलाएँ, प्रांरभिक बाल्यावस्था, देखभाल व शिक्षा से आरंभ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए।
3. **भाषा का कला एवं संस्कृति से अटूट संबंध एवं हमारी संस्कृति हमारी भाषाओं में**

समाहित है— इस नीति का यह अटल विश्वास है कि भाषा निःसंदेह अटूट रूप से कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई है। विभिन्न भाषाएँ दुनिया को विभिन्न तरीके से देखती हैं इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे ग्रहण करता अथवा समझता है यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। मुख्य रूप से किसी संस्कृति विशेष के लोगों का दूसरों से बात करना, जैसे— परिवार के सदस्यों, प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों, समकक्षों, अपरिचित आदि भाषा से ज्यादा प्रभावित होता है तथा भाषा बातचीत के तौर-तरीकों आदि को भी प्रभावित करती है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अनुभवों की समझ, लहजा और एक ही भाषा के व्यक्तियों के बीच बातचीत में अपनापन वास्तव में ये सभी संस्कृति के प्रतिबिंब एवं दस्तावेज हैं। संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, संगीत, नाटक, फ़िल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह सराहना करना भाषा के बिना संभव नहीं है इसलिए संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें अपनी संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना होगा। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है—

“दुर्भाग्य से, भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। विभिन्न भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं विशेषतः वे भाषाएँ जिनकी लिपि नहीं है। जब किसी समुदाय या जनजाति के उस भाषा के बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु होती है तो अक्सर वह भाषा भी

उनके साथ समाप्त हो जाती है; और प्रायः इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई या उपाय नहीं किए जाते हैं।”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 87

4. **भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करना**— इस नीति में भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही यह वर्णित किया गया है कि वे भारतीय भाषाएँ जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं हैं; जैसे कि आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएँ वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। अतः भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएँ जीवंत और प्रासंगिक बनी रहें इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री, जैसे— पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएँ, वीडियो आदि शामिल हैं, का सतत प्रवाह बना रहना चाहिए। साथ ही भाषाओं के शब्दकोशों एवं शब्द भंडार को आधिकारिक रूप से निरंतर अद्यतन होते रहना चाहिए तथा उनका व्यापक प्रसार-प्रचार भी किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित किया गया है कि—

“दुनिया भर के देशों द्वारा— अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई, जापानी आदि भाषाओं में इस प्रकार की अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री बनाने

और दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है तथा शब्द-भंडार को लगातार अद्यतन किया जाता है। अपनी भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद के लिए ऐसी अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने के मामले में भारत की गति काफी धीमी रही है।”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 87-88

5. **भाषा शिक्षण में सुधार एवं भाषाओं को अधिक व्यापक रूप से बातचीत और शिक्षण एवं अधिगम के लिए प्रयोग में लाना**— राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा शिक्षण में सुधार एवं भाषाओं को अधिक व्यापक रूप से बातचीत और शिक्षण एवं अधिगम के लिए प्रयोग में लाने की सिफारिश की गई है। नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि काफी उपाय करने के बावजूद भी देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की अत्यधिक कमी है। इस नीति के अनुसार भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक अनुभव आधारित बने और उस भाषा में बातचीत और अंतःक्रिया करने की क्षमता पर केंद्रित हो; न कि केवल भाषा के शब्द-भंडार, साहित्य और व्याकरण पर। इसके अतिरिक्त इस नीति में यह भी वर्णित किया गया है कि भाषाओं को अधिक व्यापक रूप से बातचीत और शिक्षण-अधिगम के लिए अथवा संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना चाहिए।
6. **बहुभाषिकता को प्रोत्साहन एवं त्रिभाषा फार्मूले का क्रियान्वयन**— इस शिक्षा नीति में बहुभाषिकता को प्रोत्साहन एवं त्रिभाषा फार्मूले के क्रियान्वयन को विशेष महत्व प्रदान किया

गया है। विद्यालयी बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों पर बल दिया गया है। उदाहरण के लिए, सभी स्कूली स्तरों पर संगीत, कला और हस्तकौशल पर बल देना, बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूले का शीघ्र क्रियान्वयन शामिल है। इसके अतिरिक्त जब संभव हो मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा अधिक अनुभव-आधारित भाषा शिक्षण, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में विद्यालयों से जोड़ना, पाठ्यचर्या, मानविकी, कला, विज्ञान, खेल और हस्तकला में भारतीय पारंपरिक ज्ञान का समावेश करना तथा पाठ्यचर्या में अधिक लचीलापन लाना। इन सभी उपायों के लागू होने से छात्र एक आदर्श संतुलन स्थापित करते हुए अपने लिए कोर्स का चुनाव कर सकें तथा स्वयं के विभिन्न आयामों; जैसे— सृजनात्मक, कलात्मक तथा सांस्कृतिक एवं अकादमिक आयामों का उचित विकास कर सकें।

7. **भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, संगीत, कला एवं दर्शन-शास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देशभर में शुरू करना**— इस नीति के अनुसार भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, संगीत, कला एवं दर्शनशास्त्र आदि विभागों एवं कार्यक्रमों को देशभर में शुरू किया जाएगा और उनको विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही इन विषयों में दोहरी डिग्री चार वर्षीय बी.एड. सहित डिग्री कोर्स

विकसित किए जाएँगे। ये विभाग एवं कार्यक्रम विशेष रूप से उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों के एक बड़े कैडर को विकसित करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही संगीत, कला, दर्शनशास्त्र एवं लेखन के शिक्षकों को भी तैयार करेंगे जिनकी देशभर में इस नीति को क्रियान्वित करने के संदर्भ में तुरंत आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में इस नीति में उल्लेखित किया गया है कि—

“स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्त-शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहाँ छात्र अध्ययन कर रहे हों वे वहाँ की संस्कृति एवं स्थानीय ज्ञान को जान सकें, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों एवं हस्त-शिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्था, प्रत्येक स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स यह प्रयास करेगा कि कलाकार वहीं निवास करें जिससे कि छात्र कला, सृजनात्मकता तथा क्षेत्र/देश की समृद्धि को बेहतर रूप से जान सकें।”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 89

8. **उच्चतर शिक्षण संस्थानों एवं कार्यक्रमों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग में लाना—** इस नीति में स्पष्ट तौर से वर्णन किया गया है कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों एवं कार्यक्रमों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाया जाएगा जिससे कि पहुँच और सकल नामांकन अनुपात में बढ़ोतरी हो सके। इसके अतिरिक्त

सभी भारतीय भाषाओं के उपयोग, मजबूती एवं जीवंतता को प्रोत्साहन मिल सके आदि के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा एवं उनको बढ़ावा दिया जाएगा।

9. **अपनी कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करना—** इस नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद और विवेचना, कला और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व कलाकृति संरक्षण, ग्राफ़िक डिज़ाइन एवं वेब डिज़ाइन के उच्चतर गुणवत्तापूर्ण वाले कार्यक्रमों एवं डिग्रियों का भी सृजन किया जाएगा। अपनी कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने एवं उसे बढ़ावा देने के संदर्भ में विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित की जाएगी। इसके अतिरिक्त कलाकृतियों का संरक्षण करना, संग्रहालय और विरासत अथवा पर्यटन स्थलों को चलाने के लिए उच्चतर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का विकास किया जाएगा जिससे कि पर्यटन उद्योग को मजबूती प्रदान की जा सके।

10. **विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना—** यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को स्वीकारती है कि विद्यार्थियों को अपने देश अर्थात् भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थियों की शिक्षा में देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने जैसी सरल गतिविधियों को सम्मिलित करना होगा

जिससे कि न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा अपितु विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान की समझ तथा सराहना होगी। इस नीति के अनुसार “एक भारत श्रेष्ठ भारत” के अंतर्गत इस दिशा में देश के अंदर ऐसे 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी जहाँ शिक्षण संस्थान अपने छात्रों को इन क्षेत्रों में ज्ञानवर्धन एवं अध्ययन आदि के लिए भेज सकेंगे।

11. उच्चतर शिक्षा में कला, भाषा और मानविकी के क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम बनाना जिनसे रोजगार के अवसर पैदा हों— इस शिक्षा नीति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उच्चतर शिक्षा में कला, भाषा और मानविकी के क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम बनाने से रोजगार के बहुत से गुणवत्तापूर्ण अवसर उत्पन्न होंगे जो इन योग्यताओं का प्रभावकारी उपयोग कर पाएँगे। वर्तमान संदर्भ में अभी भी हजारों की संख्या में ऐसी अकादमियाँ, संग्रहालय, कला वीथिकाएँ और धरोहर स्थल हैं जिनको सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त संग्रहालय, कला वीथिकाएँ और धरोहर स्थल हमारी विरासत और भारत के पर्यटन उद्योग को संरक्षित रख पाएँगे।

12. अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित प्रयासों का विस्तार करना— इस नीति में वर्णित है कि भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा। इससे सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री एवं अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इस संदर्भ में इस

नीति के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटेशन (आई. आई. टी. आई.) की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान अनेक बहुभाषी भाषा और विषय विशेषज्ञों तथा अनुवाद एवं व्याख्या विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा। इससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रसारित एवं प्रचारित करने में मदद मिलेगी।

13. संस्कृत भाषा को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्यधारा में लाना— यह नीति संस्कृत भाषा को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्यधारा में लाने पर बल देती है। इस नीति के अंतर्गत संस्कृत भाषा के बड़े एवं महत्वपूर्ण योगदान एवं विभिन्न विधाओं और विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व पर बल दिया गया है। इसके साथ ही वैज्ञानिक प्रकृति के कारण संस्कृत को न केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित रखते हुए इसे विद्यालयों में भी त्रिभाषा फार्मूले के तहत एक विकल्प के रूप में तथा साथ-ही-साथ उच्चतर शिक्षा में भी मुख्यधारा में लाया जाएगा। इसे पृथक् रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा, अपितु रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से तथा अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों, जैसे— गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक विधा एवं योग आदि से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नीति के बाकी हिस्सों से संगतता रखते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बहुविषयी संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। इसके साथ ही शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में चार वर्षीय

बहुविषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड में समूचे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

- 14. समूचे देश के सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को मज़बूती प्रदान करना—** इस नीति के तहत सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के अध्ययन से संबंधित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का विस्तार किया जाएगा। उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, उनको संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनके अध्ययन से संबंधित प्रयास किए जाएँगे जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का प्रसार किया जाएगा जिनमें शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य को पढ़ाया जा रहा है। अभी तक उपेक्षित रहे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन से संबंधित दृढ़ प्रयास किए जाएँगे। देशभर के समूचे संस्कृत तथा सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को विशेषरूप

से मज़बूत किया जाएगा। शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जाएँगे।

- 15. संविधान में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित करना—** राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएँगी। इसमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे जिससे कि नवीन अवधारणाओं का सरल किंतु सटीक शब्द भंडार तय किया जा सके। इसके साथ ही नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोश जारी किया जा सके। शब्दकोशों के निर्माण के संदर्भ में ये अकादमियाँ एक-दूसरे से परामर्श लेंगी तथा कुछ मामलों में आम जनता से भी सुझाव लेंगी। भारतीय संविधान की अनुसूची आठ की भाषाओं के संदर्भ में इन अकादमियों की स्थापना केंद्र अथवा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अथवा उनके

शास्त्रीय भाषा के संस्थान अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालयों के साथ संबंध होने या उनमें विलय करने का प्रयास करेंगे ताकि एक सुदृढ़ एवं गहन बहुविषयी कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संकाय काम कर सके एवं छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भाषाओं को समर्पित विश्वविद्यालय भी बहुविषयी बनेंगे; जहाँ प्रासंगिक होगा वे शिक्षा एवं उस भाषा में बी.एड. दोहरी डिग्री प्रदान करेंगे ताकि उस भाषा के उत्कृष्ट भाषा शिक्षक तैयार हो सकें। इसके अलावा यह भी प्रस्तावित है कि भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में एक पाली, फ़ारसी एवं प्राकृत भाषा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। जिन संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय कला, कला इतिहास एवं भारत विद्या का अध्ययन किया जा रहा है वहाँ भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाएँगे। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधानों को एन.आर.एफ. द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 90-91

साथ मिलकर की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी भी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाएँगी।

16. भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति का वेब आधारित दस्तावेजीकरण करना—

इस नीति के अंतर्गत सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए वेब आधारित प्लेटफॉर्म या विकीपीडिया या पोर्टल आदि के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। समूचे देश के लोगों को इन प्रयासों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिससे कि वे इनमें प्रासंगिक सामग्री जोड़ सकें। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में विश्वविद्यालय एवं उनकी शोध टीम एक-दूसरे तथा देशभर के समुदायों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेगी जिससे कि इनसे संबंधित प्लेटफॉर्म को और अधिक समृद्ध किया जा सके। संरक्षण से संबंधित प्रयासों एवं अनुसंधान से संबंधित वित्तीय सहायता एन.आर.एफ. द्वारा प्रदान की जाएगी।

17. भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार अर्हता के मानदंडों के हिस्से के रूप में शामिल करना—

यह नीति इस बात पर बल देती है कि भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं प्रसार तभी संभव है जब उन्हें नियमित रूप से प्रयोग में लाया जाए एवं उनका प्रयोग शिक्षण-अधिगम के संदर्भ में किया जाए। इस नीति के तहत स्थानीय शिक्षकों अथवा उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय

भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कविताओं तथा गद्य के लिए पुरस्कार की स्थापना जैसे प्रोत्साहन के कदम उठाए जाएँगे। इसके साथ ही भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार अर्हता के मानदंडों के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई नीति है। यह सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। इसका उद्देश्य इक्कीसवीं सदी की जरूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रणाली को एक नया आधार एवं दिशा प्रदान करने वाली शिक्षा नीति के रूप में संबोधित किया जा सकता है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, इक्कीसवीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। यह नीति सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति

बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देगी। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे— बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी क्षमताओं का विकास करना, भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करना, बहुभाषिकता

को प्रोत्साहन एवं त्रिभाषा फार्मूले का क्रियान्वयन, भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, संगीत, कला एवं दर्शनशास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देशभर में शुरू करना, छात्रों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, समूचे देश के सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को मजबूती प्रदान करना आदि, जो इसे अपने आप में वर्तमान समय की एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं।

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय. 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.